न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।
मूलवाद सं0 05/2013
सावित्री देवी बनाम बाबू सिंह आदि।
दिनांक 01.01.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को संशोधन प्रार्थनापत्र 27क1 पर सुना गया।

वादिनी की ओर से संशोधन प्रार्थनापत्र 27क1 मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त वाद में दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0–1 बाबू सिंह की मृत्यु दिनांक 22.12.2015 को हो गयी है। ऐसी स्थिति में बाबू के विधिक वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में अपरिहार्य है। अतः संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादी द्वारा मौखिक आपत्ति किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र अंदर म्याद है। प्रस्तुत वाद के अंतिम रूप में निस्तारण हेतु प्रतिवादी सं0–1 के वारिसान प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वादिनी का प्रार्थनापत्र 27क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादिनी की ओर प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 27क1, स्वीकार किया जाता है। वादिनी अविलम्ब संशोधन करे, पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवावदावा दिनांक 05.02.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कालपी,